संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का कार्यालय, दुमका

।। आम सूचना ।।

श्रावणी मेला, 2018 में बोल–बम यात्रियों को पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निमित मोटरगाड़ी नियमावली नियम–66 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सभी यात्री वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जसीडीह–देवघर–बासुकीनाथ–दुमका मार्ग पर अस्थायी परमिट निर्गत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन दिनांक–16.07.2018 को अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका की बैठक दिनांक–18.07.2018 (दिन बुधवार) 12:00 बजे पूर्वाह्न आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के कार्यालय कक्ष में होगी। परमिट हेतु इच्छुक परिचालक निम्न मापदण्ड के अनुरूप आवेदन दे सकते हैं :–

1. श्रावणी मेला, 2018 के उद्देश्य से जसीडीह–देवघर–बासुकीनाथ–दुमका मार्ग पर अस्थायी परमिट हेतु आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। इस मार्ग पर 02 ट्रीप अप एवं 02 ट्रीप डाउन के लिए अस्थायी परमिट संबंधी आवेदन पर विचार किया जायेगा।
2. आवेदित वाहन का निबंधन झारखण्ड राज्य का होना चाहिए।
3. आवेदक का प्रस्तावित समय–सारणी टकराव एवं ओभर टेकिंग रहित हो (न्यूनतम 03 मिनट का अंतराल) इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि उनके द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी टकराव रहित है तथा उक्त वाहन के आगे एवं पीछे प्रस्थान करने वाले वाहनों का सयम आवेदित वाहन से आगे–पीछे न्यूनतम 03 मिनट का अंतराल का हो।
4. आवेदित वाहन का मान्य कागजात/मार्ग का नक्शा/निर्धारित शुल्क एवं प्रस्तावित समय–सारणी संलग्न करना आवश्यक है।
5. आवेदन बंद लिफाफा में ही स्वीकार किये जायेंगे।
6. संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका द्वारा निर्धारित मोडल दूरी संबंधी मापदण्ड के आलोक में ही परमिट स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रमंडलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष के आदेशानुसार,

उप परिवहन आयुक्त –सह–सचिव,
संथाल परगना परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

ज्ञापांक 426 /परि0, दुमका, दिनांक 11.07.18

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, बस मालिक एसोशिएशन, दुमका/देवघर/गोड्डा/साहेबगंज/पाकुड़ एवं जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, सदस्य, संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, हंसडीहा चौक, दुमका/श्री निलकंठ सोनार, सदस्य, संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अफजलपुर, नाला, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

उप परिवहन आयुक्त –सह–सचिव,
संथाल परगना परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

ज्ञापांक 426/परि0, दुमका, दिनांक 11·07·18

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, आद्रे हाउस परिसर, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अनुरोध है कि इस आशय की सूचना तीन प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार–पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

उप परिवहन आयुक्त –सह–सचिव,
संथाल परगना परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

ज्ञापांक 426/परि0, दुमका, दिनांक 11·07·18

प्रतिलिपि :– संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप परिवहन आयुक्त –सह–सचिव,
संथाल परगना परिवहन प्राधिकार,
दुमका।